HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 731/2025

Gangaram Choudhary S/o Late Shri Narayan Choudhary,

----Appellant

Versus

Premdevi W/o Hanuman Sahay,

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Mukesh Kumar, Adv.
Mr. Shryansh Sharma, Adv.
Mr. Raghav Sharma, Adv.

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

07/04/2025

आई.ए.–1/25 पर अपीलार्थी बल नहीं देना चाहते हैं, अतः यह आवेदन बल नहीं देने से खारिज किया जाता है।

पी.एफ. व डाक शुल्क पेश होने पर अपील व स्थगन याचिका के नोटिस सामान्य प्रक्रिया के साथ–साथ रजिस्टर्ड डाक से भी प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण को जारी किये जावें।

अंतरिम आदेश पर सुना गया।

वादग्रस्त पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 18.10.2018 के क्रेता/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि दिनांक 18.10.2018 को ही वादग्रस्त संपत्ति पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से रहनमुक्त करवाई गई। प्रत्यर्थी क्रम–1 द्वारा 1,63,98,000/–रूपये संपूर्ण प्रतिफल राशि आर.टी.जी.एस. के माध्यम से बैंक खाते में प्राप्त कर विक्रय पत्र दिनांक 18.10.2018 को अपीलार्थी के पक्ष में

निष्पादित व पंजीकृत करवाते हुए संपत्ति अंतरित कर दी, लेकिन बाद में यह मिथ्या बचाव लिया है कि प्रत्यर्थी क्रम–1 से यह संपत्ति धोखे में रखकर अंतरित करवाई गई तथा प्रत्यर्थी क्रम–1 द्वारा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जो भी रकम प्राप्त हुई, वह बैंक खाते से निकालकर नकद अपीलार्थी को अदा कर दी गई।

उनका यह भी निवेदन है कि विक्रय पत्र दिनांक 18.10.2018 के बाद वादग्रस्त संपत्ति का कब्जा अपीलार्थी को सौंप दिया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार करते हुए करोड़ों रूपये की राशि निवेश कर दी है, मात्र दबाव बनाने के लिए पांच वर्ष बाद मिथ्या आधारों पर यह वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 17.11.2023 को विस्तृत आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी क्रम–1 के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था।

प्रत्यर्थी क्रम–1 के बैंक खाते में संपूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त होना विवादरहित है। वाद लंबित रहने के दौरान कोई संपत्ति अंतरित भी होती है, तो धारा 52ए संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान आकृष्ट होते हैं।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2025 की क्रियान्वीति व प्रभाव को आगामी आदेश तक स्थगित रखा जाता है।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात् पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /80 S